न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

शिविर, भोपाल

R-2896-PBR/14

मोहम्मद जहूर कुरैशी आत्मज श्री नूर मोहम्मद कुरैशी उम्र लगभग ६२ वर्ष, कृषक एवं निवासी बररवेड़ी, भोपाल(म०प्र०) --------- निगरानीकर्त्ता

विरुद्ध

१- मुकन्दीलाल आ० श्री मूलचंद उम्र ६१ वर्ष,

२- मोहन आत्मज श्री मुकन्दीलाल उम्र ३० वर्ष, दोनों कृषक एवं निवासीगण वार्ड क्रमांक ०३, बसई बैरसिया तहसील बैरसिया जिला भोपालम०प्र०,

३- रमेश आत्मज श्री हजारीलाल उम्र ३६ वर्ष, निवासी बरजरिया खेत बसई बैरसिया तहसील बैरसिया जिला भोपाल ------ गैरनिगरानीकर्त्ता

श्री आर. एन. गौर अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 26-8-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।

26-8-14

30-8-14

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १६५६

महोदय,

माननीय तहसीलदार महोदय तहसील बैरसिया जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक ५।अ-१३।१३-१४ में पारित आदेश दिनांक ०५।०८।२०१४ से परिवेदित होकर एवं दु:खितहोकर यह निगरानी माननीय न्यायालय में समयसीमा में प्रस्तुत है।

---000---

मोहम्मद जहूर कुरेशी / मुकन्दीलाल आदि
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 2-896–पीबीआर / 14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–8–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 5–8–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो की सत्य प्रतिलिपियों एवं आदेश से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति उठाई गई है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है, अतः व्यवहार वाद के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित कर दी जाये एवं प्रश्नाधीन रास्ता परशुराम की भूमि में से गया है, परन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः पक्षकार के असंयोजन के कारण प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्तकरणी है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–8–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने किया गया है, जिसमे प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । क्योंकि केवल व्यवहार वाद प्रचलित रहने से राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है, जब तक कि व्यवहार न्यायालय द्वारा स्थगन नहीं दिया गया हो । इसके अतिरिक्त यदि प्रकरण में	